

31/10/18

पत्रावली पेच है वकील पत्रकार उपर है
समाचार के कारण आरोप नहीं हुआ
जा सका। मिसल वाले आरोप पत्र 07/11/18
के रिपोर्ट 18/11/18 को पेच है।

18/11/18

पत्रावली पेच की वकील पत्रकार उपर है
प्रकरण में कदम पूर्व से ही चुकी है। रोचने
कदम प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि
1) प्रतिपक्षीय रिपोर्ट स्वतंत्र है व कार्रवाई
है अतः वाद कारण पैदा नहीं होता है।
2) माननीय न्यायालय में बेचान के बाजार
पर स्वतंत्रता देने का अधिकार नहीं होने
से माननीय न्यायालय में वाद का प्रवर्णन
एवं कार्रवाई प्राप्त नहीं है।
3) वादीगण के पास बेचान के असल दस्तावेज
नहीं हैं।

जवाब में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि
प्रतिवादी रिपोर्ट अनुसार वाद प्रवृत्ति पर वादीगण
सा कब्जा है अतः वाद कारण पैदा होता है।
2) उक्त अधि के संबंध में राजस्व रिपोर्ट स्वयं
गिरदावरी में ड्रॉक है। राजस्व रिपोर्ट में
बेचान नामानुसंग दर्ज करवा है न कि कदम
बेचान

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो
तामी

प्राथम्य पत्र व फावली मे उपलब्ध रेस्टोरेण्ट
के आघोपान्त अवलान्त, अध्यापन व
बहल कथनो मे मनन उपरान्त एम एस
रिस्कर्स पर वुंचे हे कि वाद को प्र.प. 07R11
CPC के आघाट पर खारिज किया जाना
- प्रायोचित नही है। - प्रायोद्य मे वादी एवं
परिवारी दोनो को सुना जाऊए वाद सत्य निर्णय
किया जाना ही उचित धीर होगा है। अतः
प्र.प. 07R11 CPC खारिज किया जाता है।
मिसल वास्ते जवाब दावा मे दिनांक 20/11/25
को पेय है।